कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश सं0–98 /2021
दिनांक मई 19 /2021

आदेश

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर के पत्र दिनांकित 17.05.2021 के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आ रही परेशानियों से अवगत कराया गया है साथ ही वर्चुअल सुनवाई में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत भी रखते हुए पुनः स्पष्ट निर्देश निम्न प्रकार जारी किये जा रहे हैं।

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1946/**LXXXVII-CPC/e-court Allahabad dated 26-04-2021** के पैरा संख्या–01 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्न निर्देश जारी किया गया है:–

"***The Courts/Tribunals subordinate to High Court of Judicature at Allahabad shall take up only fresh urgent matters such as fresh Bail, release, recording of Statement under Section 164 Cr.P.C. and Remand. Not more that 1 or 2 Judicial Officers shall be assigned such matters by rotation/time by slot (wherever applicable).***"

अतः इस आशय से नियुक्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

2. जेल में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों का प्रकरण यदि उच्च स्तरीय समिति के पत्रांक संख्या–1039/**SLSA-15/2020 (PS/Sharan) dated 30-04-2021** की परिधि में आता है तो उक्त आदेश के अनुक्रम में नियुक्त अधिकारीगण जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

3. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1946/**LXXXVII-CPC/e-court Allahabad dated 26-04-2021** के पैरा संख्या–05 में विद्वान अधिवक्तागण, वादकारियों व स्टाम्प विक्रेताओं व मुशिंयों आदि का प्रवेश पूर्णतयः निषिद्ध किया गया है। अतः सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि वह इसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

4. चूंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1946/**LXXXVII-CPC/e-court Allahabad dated 26-04-2021** के पैरा संख्या–03 के अनुसार समस्त सुनवाई वर्चुअल मोड़ से ही होनी है यह भी विदित है कि शत–प्रतिशत आधिवक्ताओं के पास ऐसी सुविधा न होना स्वामाविक भी है। अधिवक्तागण भी न्यायपालिका का अंग है। अतः इस असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दस कक्षीय भवन में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–03, बुलन्दशहर व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–04, बुलन्दशहर के न्यायालय कक्षों को अधिवक्ता संबोधन हेतु वर्चुअल मोड सुविधा युक्त करने हेतु नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को निर्देशित किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया जाता है कि दोनो कक्षों में पृथक प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि अधिवक्तागण सुगमतापूर्वक इस सुविधा का उपभोग कर सकें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

19.5.2021

दिनांकः 19.05.2021

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 समस्त न्यायिक अधिकारीगण, मुख्यालय बुलन्दशहर एवं वाह्य न्यायालय खुर्जा एवं अनूपशहर
2 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर
4. प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर
7. सचिव जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, बुलन्दशहर
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर

9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बुलन्दशहर

10. जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर

11 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर, सम्बन्धित निर्देशों की प्रति सहित

12 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर, सम्बन्धित निर्देशों की प्रति सहित

13 डी0 जी0 सी0, फौजदारी, बुलन्दशहर।

14 संयुक्त निदेशक, अभियोजन बुलन्दशहर

15 जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर

16 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय, बुलन्दशहर जजशिप

17 सहायक नोडल अधिकारी(वी0सी0)/सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिए

दिनांक– 19.05.2021

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।